न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 98/2025

प्रार्थी : –

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री दलाजी जाति घांची निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जैसाजी जाति नाई निवासी वासा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नगेन्द्र मेडतिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।
3. श्री भंवरलाल परमार, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से।

निर्णय

दिनांक 03.02.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 21620 दिनांक 24.08.2019 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा एवं अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल परमार द्वारा जरिए अलग–अलग वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पारित पट्टा संख्या 21620 दिनांक 24.08.2019 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार है। इस विक्रय विलेख के परिवाद की जाँच सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के द्वारा करने के उपरांत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 की पालना नहीं करने से पत्र क्रमांक विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के पत्र क्रमांक/पसपि/पंचायत/2025/232 दिनांक 25.04.2025 द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने के

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 02

निर्देश दिये गये हैं, जिससे उक्त विक्रय विलेख नियम विरुद्ध जारी होने से निरस्त योग्य हैं। यह है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 (1) के अनुसार पंचायत गांव आबादियों (300 वर्गगज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगो, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। परन्तु अप्रार्थी संख्या दो अपात्र होते हुये भी अप्रार्थी संख्या एक ने पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या दो को नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया, जो खारिज योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के नाम से राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत नियम विरूद्ध बिलानाम भूमि का नियमों के विपरीत पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या तीन को पट्टे में उल्लेखित शर्त संख्या तीन की अवहेलना कर नियम विरूद्ध पट्टा विक्रय किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत जारी पट्टे को आवंटिती और उसके वारिसों को किसी भी व्यक्ति को भूमि अन्तरण करने का अधिकार नहीं हैं। इसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या तीन को उक्त पट्टे का आधा हिस्सा बेचान किया गया है, जिससे उक्त विक्रय विलेख निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ देने की नियत से पंचायतीराज नियमो की पालना नहीं कर बिना पात्रता के ही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत नियम विरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 21620 दिनांक 24.08.2019 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो को जिला स्तरीय जॉच कमेटी द्वारा की गई जॉच के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं है तथा न ही जिला स्तरीय जॉच कमेटी ने अप्रार्थी संख्या दो से किसी भी प्रकार की कोई जॉच की है। जिला स्तरीय जॉच कमेटी ने अप्रार्थी संख्या दो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर या सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जिला स्तरीय जॉच कमेटी द्वारा एक तरफा अप्रार्थी संख्या दो की जानकारी के बिना पीठ पीछे तैयार की गई जॉच रिपोर्ट विधि विरूद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय के भी विरूद्ध है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भी आदेश दिए जाने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किए जाने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आबंटन से पूर्व कॉलोनी का विधि अनुसार भूमि का प्लान तैयार किया था। ग्राम पंचायत द्वारा प्लान के अनुरूप ही भूखण्डों का आवंटन किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या दो भूमि आबंटन की पात्रता रखता था तथा पात्रता होने से ही ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार जॉच के उपरान्त पूर्ण प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुसार है। अप्रार्थी संख्या दो के हक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा नियम 145 से 146 की पालना नहीं किए जाने का कथन गलत रूप से किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या दो भूमि आबंटन की पात्रता रखता था तथा पात्रता

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 03

होने से ही ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार जाँच के उपरान्त पूर्ण प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुसार है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विधि अनुसार पूर्ण प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैद्यता नहीं है अन्यथा भी अप्रार्थी संख्या एक के किसी भी कृत्य के लोप के कारण अप्रार्थी संख्या दो को दण्डित नहीं किया जा सकता है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो कुम्हार पिछडी जाति का गरीब महिला कृषक है, जिसके पास कोई आवास नहीं है, अप्रार्थी संख्या दो किस प्रकार से निशुल्क भूखण्ड की पात्रता नहीं रखता है, नही बताया गया है, गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या तीन के लायक अधिवक्ता श्री भंवरलाल परमार द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत को उक्त भूमि के संबंध मे पट्टा जारी करने का कानूनन अधिकार है एवं अप्रार्थी संख्या एक ने पंचायती राज नियमों की पूर्ण पालना कर एवं अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखने से ही एक छोटे से भूखण्ड का आवंटन अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। यह कि प्रार्थी द्वारा जांच मनमाने तरीके से व गलत रूप से व दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गयी है, जबकि अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखने से उसे नियमों के अनुरूप एक छोटे से भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है और न ही पंचायती राज नियमों की अवेहलना हुई है। अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या एक को शुल्क भी अदा किया है एवं अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखने से उसके हक में पट्टा जारी किया गया है और उक्त पट्टे शुदा भूखण्ड पर वर्तमान स्वामी अप्रार्थी संख्या तीन बतौर स्वामी काबिज है। यह कि अप्रार्थी संख्या तीन ने अप्रार्थी संख्या दो के पास उक्त आवासीय पट्टेशुदा प्लॉट का भूखण्ड खरीद किया गया था, जिसे उपपंजीयक कार्यालय भावरी में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। अप्रार्थी संख्या तीन ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों के अनुसार ही ग्राम पंचायत से एन.ओ.सी. लेकर उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर आवासीय मकान का निर्माण कार्य किया गया है एवं मकान निर्माण के बाद ही विधुत कनेक्शन लिया गया है तथा वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या तीन परिवार सहित निवासरत है। यह कि सरकार जरिए पटवारी हल्का वासा द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या तीन के विरूद्ध मुकदमा किया गया, जिसमें खसरा संख्या 3809/896 रकबा 1200 वर्गफीट किस्म गैर मु. मगरी में कभी भी किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं होना पाया गया एवं उक्त मुकदमा संख्या 09/2024 मुझ गैर सायल पर कोई बन्धनकारी प्रभाव नहीं रखता है। माननीय उप तहसीलदार के निर्णय के अनुसार आबादी भूमि के शुद्धि का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा में विचाराधीन है। यह कि प्रार्थी द्वारा करवाई गई जांच के संबंध में अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अगर कोई गलत रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दी गई है तो वह रिपोर्ट खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखने के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज के नियमों के अनुरूप ही पट्टा जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत वासा को गांव में भूमि आबादी विस्तार के लिए उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा भूमि आवंटित की गयी थी एवं आवंटन की शर्त अनुसार उक्त आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन करवाकर पंचायती राज नियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को ही नियमानुसार भूखण्ड आवंटित किये

जिला कलेक्टर, सिरोही

...पेज नं. 04

गये है एवं इस संबंध में नियमानुसार ग्राम सेवक व पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत की कमेटी से जांच रिपोर्ट मंगवाकर पात्र व्यक्तियों को ही पट्टे जारी किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से सत्यापन/प्रमाण नहीं दिया गया है तथा निगरानी प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः शपथ पत्र के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी प्रार्थना पत्र के प्रारूप में नही है। यह एक विभागीय पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व प्रस्ताव नियमानुसार पारित किया गया है एवं उस प्रस्ताव को आज तक प्रार्थी ने कभी भी चुनौती नहीं दी है, जिसके अस्तित्व मे रहते उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी संख्या दो मय खर्चा खारिज कराना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा संख्या 21620 दिनांक 24.08.2019 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत वासा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत उन्हीं पात्र व्यक्तियों को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत वासा में अन्य कोई आवासीय मकान उपलब्ध नहीं है, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं न ही इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है एवं न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान अप्रार्थी संख्या तीन को किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो के पास उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूखण्ड के अलावा भी अन्य मकान उपलब्ध है, जिसमें वह निवासरत है। अतः अप्रार्थी संख्या दो आवासहीन व्यक्ति नहीं होते हुए एवं नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नही रखने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत वासा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में उक्त विवादित पट्टा संख्या 21620 दिनांक 24.08.2019 के अतिरिक्त भी एक अन्य पट्टा संख्या 10 दिनांक 21.01.2013 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 05

के अन्तर्गत रियायती दर पर जारी किया गया है। चूंकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को ही रियायती दर पर एवं निःशुल्क पट्टा जारी किया जाता है, परन्तु इस प्रकरण में ग्राम पंचायत वासा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पूर्व में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा संख्या 10 दिनांक 21.01.2013 जारी करने के उपरान्त भी उक्त विवादित पट्टा संख्या 21620 दिनांक 24.08.2019 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत ही रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति को दो भूखण्डों का रियायती दर पर आवंटन किया गया है, जो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 का स्पष्ट उल्लघंन है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत वासा द्वारा उक्त विवादित भूखण्ड को आवंटन करने से पूर्व आवंटी की पात्रता की जांच भी नहीं की गई है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन से पूर्व ग्राम में आम सूचना देकर आवेदन चाहे गए थे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो का पुराना कब्जा होने के सम्बन्ध में भी किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड के आधे हिस्से का बेचान जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के अप्रार्थी संख्या तीन श्री नरेश कुमार पुत्र श्री जैसाजी जाति नाई निवासी वासा को दिनांक 31.12.2022 को किया गया था, परन्तु ग्राम पंचायत वासा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे की शर्त संख्या तीन में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आंवटिती और उसके वारिसों को किसी भी व्यक्ति को भूमि अन्तरण करने का अधिकार नहीं होगा और शर्त संख्या चार में उपबंधित के सिवाय भूमि आंवटिती के स्वयं के कब्जे में रहेगी, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या तीन को बेचान किए जाने से पट्टे में वर्णित शर्त संख्या तीन का स्पष्ट उल्लघंन किया जाना प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि श्री भोमाराम सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत वासा द्वारा उक्त विवादित पट्टा बिलानाम भूमि पर जारी किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। अतः ग्राम पंचायत वासा द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर बिलानाम भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक उक्त विवादित पट्टे का पंजीकृत होने का सवाल है तो अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता द्वारा यह कथन तो किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे को उपपंजीयक कार्यालय से पंजीकृत करवाया गया है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह साबित करता हो कि उक्त विवादित पट्टे को अप्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत करवाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत वासा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत वासा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 21620 दिनांक 24.08.2019 क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही